तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट दुर्गादेवी बनाम सरपंच बडू

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

अपीलान्ट स्वंय
सरपंच ग्राम पंचायत बडू, ग्राम विकास अधिकारी बडू

निर्णय

दिनांक :– 02.10.2021

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 651, 661, 662, 663 कुल रकवा 4.46 हैक्टयर भूमि तथा खसरा नम्बर 560 रकबा 3.91 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पिता नानकराम पुत्र बुरराराम के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी है अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 28.08.20218 को जाने पर फौतगी नामान्तकरण तीन बहने भंवरीदेवी, दुर्गादेव और विमलादेवी माली व एक भाई पेमाराम व हमारी मां गलकूदेवी के नाम दर्ज होना था। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम घर पर बोलचाल के अनुसार दुर्गा देवी का नाम बालीदेवी एवं विमला माली का नाम विमला अंकित कर नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जबकि हम रेस्पोडेन्ट आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजो के अनुसार दर्ज करवाने चाहते है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना फार्म भरने के लिए दिनांक 05.04.2021 को उक्त ख़सरान की नकल म्यूटेशन की प्रति प्रापत की तो जानकारी में आया जिसको दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवरी को कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह नामान्तकरण अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण दिनांक 470 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2019 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का राजस्व रेकार्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। तत्पश्चात पत्रावली में पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित करते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बडू में नियत की गई। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स्वंय उपस्थित हुऐ। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलान्ट का वास्तविक नाम दुर्गादेवी पुत्री नानकराम व विमला माली पुत्री नानकराम होना बताया है। अपीलान्ट की माता व भाई भी उपस्थित आऐ जिन्होनें भी अपनी पुत्रियों एवं बहिनों का सही नाम दुर्गादेवी व विमला माली होना बताया है तथा दोनों के आधार कार्ड राशन कार्ड की प्रतियां पेश की है जिनमें भी अपीलान्ट का नाम दुर्गादेवी व विमला माली दर्ज है, अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड , एवं बैंक में यही नामा दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से अपीलान्ट को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है जिससे अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जावे। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प शिविर में उपस्थित ग्राम के अन्य मौजीज व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों से जानकारी करने पर उनके द्वारा भी अपीलान्ट का सही नाम दुर्गादेवी त विमला माली होना बताया है। जिससे अपीलान्ट की अपील लोक आदलत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील लोक अदालत की भावना से स्वीकार की जाकर ग्राम बडू के नामान्तकरण संख्या 470 में पारित संरपच ग्राम पंचायल बडू का आदेश दिनांक 23.01.2019 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार परबतसर को नामान्तकरण लौटाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 651, 661, 662, 663 कुल रकबा 4.46 हैक्टयर भूमि तथा खसरा नम्बर 560 रकबा 3.91 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट का नाम बालीदेवी पुत्री नानकराम के स्थान पर दुर्गादेवी पुत्री नानकराम व विमला देवी पुत्री नानकराम के स्थान पर विमला पुत्री नानक राम दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बडू में मजमें आम सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी